

भाग—2

(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7—परियोजना/स्कीम का स्थान	
(क) राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख) जिला	इलाहाबाद
(ग) वन प्रभाग	समाजिक वानिकी प्रभाग इलाहाबाद
(घ) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	0.097358 हेक्टेयर
(ड.) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
(च) हरियाली का घनत्व	0.3
(छ) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बंध में एफ0ए0एल0—2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0—4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	दो वृक्ष
(ज) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	मार्ग के किनारे की पटरी समतल भूमि है। भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
(झ) वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	संरक्षित वन भूमि पर
(ज) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भाग है। (यदि हॉ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं
(ट) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हॉ तो तत्सम्बंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(ठ) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्त्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8—प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग—1 कालम 2, में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9—क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य पर ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10—प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
क—प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस—पास के वन से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू—खण्ड का आकार	अवनत वन भूमि पर
ख—प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस—पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।



ग— रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	संलग्न है।
घ— प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
ड.— प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण—पत्र (सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है।
11—जिला उपवन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम—7 (ट, ठ) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12—विभाग / जिला प्रोफाइल	वन विभाग
क—जिले का भौगोलिक क्षेत्र	5,28,900.00 हे०
ख—जिले का वन क्षेत्र	21564.642 हे०
ग—मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	1—199.79 हे० (R.F.4 मामले) 2—25.855 हे० (P.F.14 मामले)
घ—1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण	297.27 हे०
1—दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	40.665 हे०
2—वनेतर भूमि पर	256.605 हे०
ड.—अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	297.27 हे०
1—वन भूमि पर	40.665 हे०
2—वनेतर भूमि पर	256.605 हे०
13—प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश”	प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक:—

स्थान:—

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

सरकारी मोहर 
प्रानांजिक वानिकी वन प्रभाग
इलाहाबाद